

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 400]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 1977/अग्रहायण 28, 1899

No. 400]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 1977/AGRAHAYANA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December 1977

G.S.R. 763(E).—Whereas a draft of the Motor Vehicles (Driving Licence Fee) Rules, 1977, was published with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No G.S.R 1342 dated the 19th September, 1977, at page 2937 of the Gazette of India, 1977, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th October, 1977 as required by sub-section (1) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby by up to a period of 45 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette,

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11th October, 1977;

And whereas no objections or suggestions have been received on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 20A of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the **Motor Vehicles (Driving Licence Fee) Rules, 1978.**

(2) They shall extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on 1st day of January, 1978.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939),

(b) "section" means a section of the Act.

3. **Fee for grant of driving licence.**—The fee referred to in sub-section (8) of section 7, for the grant of a driving licence, shall be twenty rupees.

4. **Fee for renewal of driving licence.**—(1) The fee referred to in sub-section (3) of section 11 for the renewal of a driving licence, shall be fifteen rupees.

(2) The fee referred to in sub-section (3A) of section 11, for the renewal of a driving licence shall be twenty rupees.

[No. F. TGM-(21)/77-II]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1977

सां. कां. निं. 783(अ).—यतः मोटर गाड़ी (चालन लाइसेंस फीस), नियम, 1977 के प्रारूप मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 133 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संं. सां. कां. निं. 1342, तारीख 19 सितम्बर, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 8 अक्टूबर, 1977 के पृष्ठ 2937 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य था, आक्षेप और सुझाव उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर मांगे गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 11 अक्टूबर, 1977 को उपलब्ध कराया गया था;

और यतः उक्त प्रारूप नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम मोटर गाड़ी (चालन लाइसेंस फीस), नियम, 1978 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) ये जनवरी, 1978 के पहले दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक सर्वभ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. चालन अनुज्ञापत्र देने की फीस —चालन अनुज्ञापत्र देने के लिए धारा 7 की उपधारा (8) में उल्लिखित फीस बीस रुपये होगी ।

4. चालन अनुज्ञापत्र के नवीकरण की फीस .—(1) चालन अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए धारा 11 की उपधारा (3) में उल्लिखित फीस पन्द्रह रुपये होगी ।

(2) चालन अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए धारा 11 की उपधारा (3ए) में उल्लिखित फीस बीस रुपये होगी ।

[सं० का० टी० जी० एम०-(21)/77-II]

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव ।

